झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

चर्चा में क्यों?

झारखंड सरकार ने **किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिये झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है।** इस योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

योजना के तहत **राज्य सरकार प्रति किसान 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करेगी।**

मुख्य बिंदु:

- यह योजना **1 फरवरी, 2021 को शुरू की गई थी।**
- इस योजना का उद्देश्य **झारखंड के अल्पावधि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है।**
- इसका **उद्देश्य** फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।
- **पात्र लाभार्थी:**
    - झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये।
    - जिन छोटे और सीमांत किसानों ने [किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)]() का उपयोग करके ऋण लिया है।
    - ऐसा किसान होना चाहिये जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करता हो या ऐसे किसान हों जो पट्टे पर ली गई भूमि पर कृषि करते हों।
    - किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
    - एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
    - 31 मार्च 2020 से पहले बैंकों से ऋण लिया हुआ होना चाहिये।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

- **परिचय:**
    - किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना **वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।**
    - यह खेती, कृषि आदानों की खरीद और अन्य ज़रूरतों हेतु ऋण प्रदान करती है।
    - **वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता को कवर करने हेतु इस योजना का विस्तार किया गया था।**
    - यह सुविधा वर्ष 2018-19 में मत्स्य और पशुपालन में संलग्न किसानों हेतु बढ़ा दी गई थी।
- **उद्देश्य:**
    - इस योजना का उद्देश्य फसल की खेती, फसल के बाद के खर्चों, विपणन ऋण, उपभोग आवश्यकताओं और कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी हेतु **किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है।**
    - **यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये निवेश ऋण भी प्रदान करती है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-krishi-rin-mafi-yojana